


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत बिनोद कुमार पिता हिरालाल और सुनिता देवी पति मनोज कुमार सिंह निवासी ग्राम: पतरातू, थाना: पतरातू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: पतरातू, थाना सं: 22, ग्राम: पतरातू, (रैयती) खाता सं. 56 के अधीन प्लॉट सं. 9, 13, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 28, 29, 25, 26, 27 & 17, कुल रकबा - 4.02395 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम पतरातू, थाना सं: 22, ग्राम: पतरातू (रैयती) खाता सं. 30 के अधीन प्लॉट सं. 272, खाता सं. 8 के अधीन प्लॉट सं. 146 और 434, ग्राम: बिंगलात, (रैयती) खाता सं. 56 के अधीन प्लॉट सं. 9, 13, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 28, 29, 25, 26, 27 & 17, कुल रकबा - 4.02395 एकड़ के तहत बिनोद कुमार पिता हिरालाल और सुनिता देवी पति मनोज कुमार सिंह निवासी ग्राम: पतरातू, थाना: पतरातू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
11/05

